उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या– 30/2022

सोहर मुण्डा वगै० बनाम् निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
08/09/23		

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के विविध रिवीजन वाद संख्या–115/2021 एवं 116/2021 में दिनांक–28.01.2022 को पारित आदेश के उपरांत प्राप्त हुआ है। उक्त रिवीजन में इस न्यायालय के परमिशन वाद संख्या–19/2020 सोहर मुण्डा वगै० बनाम निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो एवं विविध वाद संख्या–54/2021 सोहर मुण्डा वो बनाम निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो में क्रमंशः दिनांक–24.02.2021 एवं दिनांक–30.10.2021 को पारित आदेश को Set-aside करते हुए पुनः सुनवाई कर मेरिट के आधार पर आदेश पारित करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उक्त वाद में आवेदक (बिक्रेता)–1. सोहर मुण्डा पिता–स्व० लोधर मुण्डा, 2. किशुन मुण्डा, पिता–स्व० मुकुन्द मुण्डा, 3. शिवचरण मुण्डा, पिता–स्व० विष्णु मुण्डा, का निवास ग्राम+पो०–कोतो, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अन्तर्गत क्रेता निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो द्वारा भूमि एवं राजस्व विभाग को विद्यालय विस्तार हेतु नीचे वर्णित भूमि हस्तांतरण/बिक्री से संबंधित प्राप्त अनुमति आवेदन के आलोक में अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ का पत्रांक–1054/रा०, दिनांक–14.08.2023 से जाँच प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त, अवलोकन किया गया। बिक्री अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

अनुमति हेतु दायर भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा	थाना/ थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा एकड़ में)
कोतो	पतरातू/18	30	389	0.42 एकड़
कुल रकंवा				0.42 एकड़

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण की अनुमति हेतु निम्न प्रावधान है :–

Transfer of occupancy-holding or Bhuinhari-tenure for certain purposes :-

(1) Notwithstanding anything contained in Sections 46, 47 and 48 any occupancy raiyat or any member of a Bhuinhari family, who is referred to in Section 48 may transfer his holding or tenure or any part thereof for the following purposes :-

(a) in any case, the use of the land for any industrial purposes or for any other purposes which the State Government may, by ratification declare to be subsidiary thereto or for access to land used or required for any such purpose.

(b) in any case, the use of the land for the purpose of mining or for any other purpose which the State Government may, by notification, declare to be subsidiary thereto or for access to land used or required for any such purpose. -----

Before consenting to any transfer, the Deputy Commissioner shall satisty himself that [adequate compensation is tendered to landlord for the loss (if any) caused to him by the transfer], and whwre only part of holding or tenure as transferred, may, if he thinks fit, apportion, between the transferee and the original tenant the rent payable for the holding or tenure

अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ ने पत्रांक–1054/रा०, दिनांक–14.08. 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि, "CNT Act की धारा–49 के तहत् मात्र औद्योगिक एवं खनन कार्य हेतु भूमि हस्तांतरण की अनुमति दिया जाना है।"

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा स्कूल निर्माण हेतु भू–हस्तांतरण की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है। स्कूल निर्माण को उद्योग की श्रेणी में रखे जाने संबंधी राज्य सरकार को कोई भी दिशा–निर्देश उपलब्ध नहीं है। अतः भू–हस्तांतरण हेतु अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।"

आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो से संबंधित बिक्री करने हेतु आवेदक द्वारा अनुमति की माँग की गई है। अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन एवं सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा बहस के दौरान दिये गये बयान एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 में इस उद्देश्य के लिए बिक्री हेतु परमिशन का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 के अंतर्गत अनुमति हेतु दायर आवेदन विचार योग्य नहीं है, आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संचिक करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 18/09/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chandan 18/09/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2023.11.16 17:41:32 +05:30
Location: 192.168.194.197